"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2016— चैत्र 9, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-13/2016/वा. कर (आब.)/पांच (18). — छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा विदेशी मदिरा (माल्ट) के निर्यात पर, निर्यात फीस नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर विहित करती है :-

सारणी

क्र. (1)	विदेशी मदिरा का प्रकार (2)	निर्यात फीस की दर (3)
1.	माल्ट, लिकर जिसमें बियर, ऐल, पोर्टर, स्टाऊट एवं साइडर सम्मिलित है, हेतु :-	रुपये 0.50/- प्रति बल्कलीटर

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2016 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10-13/2016/वा. कर (आब.)/पांच (18) . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2016/वा. कर (आब.)/पांच (18), दिनांक 21-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st March 2016

NOTIFICATION

No. F 10-13/2016/CT/EX/V(18) . — In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, and on supersession of earlier notification in this context, the State Government prescribes the Export fees on the Export of foreign liquor (malt) as shown in column (3) of the table below :-

TABLE

S. No. (1)	Kind of Foreign Liquor (2)	Rate of Export fee (3)
1.	For Malt liquor including Beer, Ale, Porter, Stout and Cider.	Rs. 0.50/- per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.